पंचायत निगरानी संख्या : 106/2024
उनवान : जीवराज बनाम स्व. सावित्री देवी के का.मु. दिनेश वैष्णव व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 106/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/120

प्रार्थी :–

जीवराज पुत्र पेमाजी जाति माली निवासी सेवाडी तहसील बाली जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. स्व. सावित्री देवी पत्नी दिनेशचन्द वैष्णव जाति वैष्णव निवासी सेवाडी तहसील बाली जिला पाली के कायम मुकाम वारिसानः–(i). दिनेश वैष्णव पुत्र भूरदास वैष्णव निवासी सुथारो का वास सेवाडी तहसील बाली
2. ग्राम पंचायत सेवाडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सेवाडी तहसील बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत सेवाडी की मिसल संख्या निल में पारित प्रस्ताव संख्या निल व उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 109 दिनांक 10.10.1996 को निरस्त किये जाने बाबत्।

उपस्थिति :–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार।

–:निर्णयः–

दिनांकः 30.01.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत सेवाडी की मिसल संख्या निल में पारित प्रस्ताव संख्या निल व उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 109 दिनांक 10.10.1996 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि:–

1. यह है कि प्रार्थी निगरानीकर्ता का मौजा सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1389 रकबा 0.27 हैक्टेयर किस्म बंजड व खसरा नम्बर 1390 प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि के चिपती हुई उत्तर दिशा में खसरा संख्या 1391 रकबा 4.56 हैक्टेयर आई हुई है। जिस पर मौके पर आबादी बसी हुई है तथा इसी भूमि पर सलंग्न नक्शें अनुसार समय–समय पर ग्राम पंचायत सेवाडी द्वारा आबादी पट्टे भी जारी किये गये है। सलंग्न नक्शें अनुसार उक्त खसरा नम्बर 1391 की भूमि पर आबादी हेतु सलंग्न नक्शें में भूखण्ड संख्या क्रमांक 01 व 10 के चिपते हुई खालसा गली दस के चिपते हुई खालसा गली दस फीट चौडी व उसके

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 106/2024
उनवान : जीवराज बनाम स्व. सावित्री देवी के का.मु. दिनेश वैष्णव व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

आगे चिपती हुई प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1389 व 1390 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1389 व 1390 की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है। जिस खालसा गली व प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर विधि विरुद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा संख्या 109 जारी किया जिस पट्टे के अडौस पडौस निम्न है:–

पूर्व में– आम रास्ता
पश्चिम में :– पडत भूमि आबादी
उत्तर में:– आसुलाल दरगाजी लुहार
दक्षिण में:– होंगावा बेरा का जाव।

उपरोक्त पट्टा व प्रस्ताव पंचायत राज नियमों के विरुद्ध जारी किया जिसके विरुद्ध यह निगरानी निम्न मुख्य आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:–

1. यह है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव विधि विरुद्ध होने से तथा पंचायत राज नियमों के विरुद्ध होने से प्रथम दृष्टया निरस्त करने योग्य है।
2. यह है कि जैर निगरानी पट्टे में दर्शित पड़ौस अनुसार दक्षिण दिशा में प्रार्थी निगरानीकर्ता की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है तथा उसके उत्तर दिशा में खसरा संख्या 1389 व 1390 की भूमि आई हुई है तथा उसके उत्तर दिशा में खसरा संख्या 1391 की आबादी भूमि आई हुई है जिसमें संलग्न नक्शें अनुसार खसरा संख्या 1391 की आबादी भूमि के दक्षिण में बेरा होंगावा के उत्तर दिशा में खालसा गली तत्पश्चात् अन्य आबादी भूमि भूखण्ड संख्या 1, 10 व अन्य भूखण्ड है। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टे में दर्शित भूमि आबादी नहीं होकर खालसा गली व प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि का हिस्सा है जिस भूमि पर पंचायत को पट्टा जारी करने का कानूनी कोई हक अधिकार ही नहीं था। उसके बावजुद भी विधि विरुद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा तैयार किया जो निरस्त करने योग्य है।
3. यह है कि ग्राम पंचायत, सादडी के खसरा संख्या 1391 में बसी आबादी भूमि सलंग्न नक्शें अनुसार पट्टे जारी किये जिसमें बेरा होंगावा के खातेदारी कृषि भूमि के उत्तर में दिशा में स्थित खसरा संख्या 1391 की खालसा गली स्थित है तत्पश्चात् भूखण्ड संख्या 1 व 10 स्थित है। इसी कारण से भूखण्ड संख्या 1 व 10 के पट्टे क्रमशः क्रमांक 4165 व 4174 भूरा पुत्र पुना मैणा निवासी सादडी (जो वर्तमान में आसुलाल पुत्र दरगाजी लुहार द्वारा खरीद कर मकान निर्मित कर निवास कर रहा है) व दूजा पुत्र मीठा मैणा निवासी सादडी के पक्ष में जारी किये है जिसमें उपरोक्त दोनों पट्टो के दक्षिण दिशा में चिपती हुई दस फीट खालसा गली तत्पश्चात् प्रार्थी की खातेदारी बेरे की भूमि स्पष्ट रुप से अंकित है। इससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा खालसा गली व प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर विधि विरुद्ध तरीके से जारी किया जो निरस्त करने योग्य है।
4. यह है कि जैर निगरानी पट्टे की ओट में अप्राथी व उसके पति द्वारा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1389 की भूमि में दखलअन्दाजी का प्रयास करने पर प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए दिनांक 07.11.06 को उपखण्ड अधिकारी, बाली ने निर्णय पारित कर अप्रार्थी के विरुद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा जारी की तथा जिसमें न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1389 के उत्तर दिशा में हाल खसरा नम्बर 1391 रकबा 4.56 हैक्टेयर की भूमि स्थित है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा प्लॉट काटे जाकर माफिक नक्शें अनुसार प्लान तैयार किया हुआ है जिस भूमि के दक्षिण दिशा में दस फीट की खालसा गली छोड़ते हुए बेरा होंगावा का जाव खसरा संख्या 1389 की भूमि स्थित है तथा उक्त खालसा गली के उत्तर दिशा में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 106/2024
उनवान : जीवराज बनाम स्व. सावित्री देवी के का.मु. दिनेश वैष्णव व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

भूखण्ड संख्या 01 जो वर्तमान में आसुलाल पुत्र दरगाजी लुहार का निवास है जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा प्रार्थी की खातेदारी भूमि व खालसा गली पर जारी किया गया है जो जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं था। इस कारण से जैर निगरानी पट्टा निरस्त करने योग्य है।

5. यह है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने विधिवत रुप से कोई मिसल कायम नहीं की तथा न ही अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जैर निगरानी पट्टे हेतु आवेदन किया और न ही नक्शा मौका प्रस्तुत किया और न ही वार्ड पंचों द्वारा मौका देखा गया और न ही किसी तरह से आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया और बाले–बाले मात्र फोरमेट के रुप में पट्टा भरकर पंचायत राज नियमों के विरुद्ध पट्टा व प्रस्ताव तैयार किया जो निरस्त करने योग्य है।
6. यह है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा किसी तरह से मिसल कायम नहीं की गई और न कभी मिसल पंचायत कोरम के समक्ष रखी गई और न ही किसी तरह से कोई विधिवत प्रस्ताव पारित किया गया और बाले–बाले जैर निगरानी पट्टा जारी किया जो पंचायत राज नियमों के विरुद्ध होने से निरस्त करने योग्य है।
7. यह है कि जैर निगरानी पट्टे के संबंध में कोई आम इश्तिहार जारी नहीं किया और मात्र फोरमेट भरकर तैयार करते हुए जैर निगरानी पट्टा पंचायत राज नियमों के विरुद्ध तैयार किया। इस कारण जैर निगरानी पट्टे की जानकारी प्रार्थी को नहीं हो सकी जिससे प्रार्थी ग्राम पंचायत में अपनी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सका। इस कारण से भी ऐसा पट्टा पंचायत राज नियमों के विरुद्ध जारी होने से निरस्त करने योग्य है।
8. यह है कि जैर निगरानी पट्टे व उससे संबंधित मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु हेतु प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में कई बार आवेदन करने के पश्चात प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान नहीं करने प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि बाबत् सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया लेकिन अब दिनांक 29.06.21 को अप्रार्थी का पति जैर निगरानी पट्टे के आधार पर सार्वकालिक निषेधाज्ञा पारित होने के बावजुद भी निर्माण की अनुमति मांगने पर ग्राम पंचायत द्वारा साधारण बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए जैर निगरानी पट्टे को शून्य माना तथा जैर निगरानी पट्टे व मिसल उपलब्ध नहीं होने बाबत् पंचायत द्वारा सूचना दिनांक 28.06.2021 को प्रदान की, कोरोना काल के पश्चात् यह निगरानी अतिशीघ्र प्रस्तुत की जा रही है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सेवाडी की मिसल संख्या निल में पारित प्रस्ताव संख्या निल व उसकी अनुपालना में जारी पट्टा संख्या 109 दिनांक 10.10.1996 को निरस्त फरमावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अप्रार्थी संख्या एक के कायम मुकाम एवं अप्रार्थी संख्या दो बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई गई। ग्राम विकास अधिकारी/सचिव ग्राम पंचायत सेवाडी ने ज़रिए पत्रांक/110 दिनांक 31.12.2025 अवगत कराया कि जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है अतः प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रार्थीपक्ष की एकतरफा बहस सुनने का निश्चय किया गया।

वक्त बहस प्रार्थी स्वयं ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि मौजा सेवाडी में उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1389 व 1390 बेरा होंगावा जाव के रुप में स्थित है जिसके उत्तर दिशा में आबादी भूमि खसरा संख्या 1391 अवस्थित है तथा खातेदारी भूमि एवं आबादी भूमि के मध्य दस फीट की खालसा गली है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी स्व. सावित्रीदेवी के पक्ष

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 106/2024
उनवान : जीवराज बनाम स्व. सावित्री देवी के का.मु. दिनेश वैष्णव व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

में दिनांक 10.10.1996 को पट्टा संख्या 109 निष्पादित किया, जो कि उक्त खालसा गली एवं प्रार्थी की खातेदारी भूमि को सम्मिलित करते हुए जारी किया गया। यह भी, कि ऐसा पट्टा विलेख निष्पादित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गई और न ही वैधानिक प्रक्रिया की पालना की गई है। अतः ऐसे अधिकारिताविहिन और अवैधानिक पट्टा विलेख को निरस्त फरमावें।

प्रार्थीपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने निगरानी याचिका के साथ म्याद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर असामान्य विलम्ब के उपशमन का निवेदन किया है। यद्यपि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानान्तर्गत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नहीं है तथापि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिकार/खण्डन प्रस्तुत नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित सशपथ कथनों को प्रमाणित मानते हुए मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका को गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा विचाराधीन पंचायत निगरानी याचिका के माध्यम से ग्राम पंचायत सेवाडी द्वारा स्व. सावित्री देवी के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 109 दिनांक 10.10.1996 को मुख्यतः इस आधार पर चुनौति दी है कि प्रश्नगत पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूमि खसरा संख्या 1391 की आबादी भूमि में स्थित न होकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तथा खालसा गली की भूमि है, जिसके विक्रय का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

उक्त आक्षेप के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। उक्त पट्टा विलेख की चतुर्दर्शी में उत्तर दिशा में आसुलाल पुत्र दरगाजी लुहार तथा दक्षिण में होंगावा वेरा का जाव होना अंकित है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प संख्या 10 दिनांक 20.07.2021 तथा वार्डचों द्वारा तैयार मौका फर्द दिनांक 07.07.2021 में अंकित विवरण अनुसार उक्त आसुलाल पुत्र दरगाजी लुहार द्वारा भूखण्ड संख्या एवं आसुलाल /दरगाजी के भूखण्ड तथा दक्षिण में वेरा होंगावा जाव (प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि) के मध्य जैर निगरानी विवादित भूखण्ड अवस्थित होना अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जैर निगरानी पट्टा प्रार्थी की खातेदारी भूमि एवं खालसा गली का जारी किया गया है, जिसे निष्पादित करने का ग्राम पंचायत को किया क्षेत्राधिकार नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सेवाडी द्वारा इसी आधार पर अप्रार्थी द्वारा विवादास्पद भूखण्ड पर चाही गई भवन निर्माण अनुमति को ज़रिए प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 20.07.2021 को आवेदन खारिज किया गया था।

यह भी कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली में इसी विषयवस्तु पर प्रस्तुत वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 123/97 को न्यायालय द्वारा वादीगण/प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 07.11.2006 को निर्णीत किया गया।

जैर निगरानी विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सेवाडी द्वारा गठित वार्ड पंचों की समिति द्वारा तैयार मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 07.07.2021 का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है, जिसके अनुसार" आज दिनांक 07.07.2021 को ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 05.07.2021 के प्रस्ताव संख्या 10 के अनुसार निर्मित मौका कमेटी ने मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने पत्नि सावित्री देवी के नाम का पट्टा पेशकर निर्माण कार्य की ईजाजत चाही है जबकि उक्त पट्टे के अनुसार मौके पर पट्टे के अडौस पडौस के अनुसार किसी प्रकार का कोई भूखण्ड नहीं पाया गया। वास्तविक स्थिति की जांच करने पर हमने यह देखा कि सन 1975 में ग्राम पंचायत के मौजुदा सरपंच रुपचंद बाकना ने गांव की आबादी भूमि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 106/2024
उनवान : जीवराज बनाम स्व. सावित्री देवी के का.मु. दिनेश वैष्णव व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

में गरीबो की निःशुल्क भूखण्ड आवंटन प्लान के अनुसर किये थे। जिसका नक्शा प्लान आपत्तिकर्ता श्री जीवराज परिहार के द्वारा बताया गया जिससे हमे यह मालुम चला कि भूखण्ड संख्या 01 का पट्टा भूरा पुत्र पुना जाति मीणा के नाम से बना हुआ था जिसके बाद उस एक नम्बर भूखण्ड की आसुलाल पुत्र दरगाजी लुहार ने खरीदा है तब से आज दिन उनका ही कब्जा चला आ रहा है तथा मौके पर उक्त भूखण्ड के चारो तरफ रोंग (नींव) भरी हुई है तथा बाहर की तरफ गेट लगा हुआ है और उनके नाम का बोर्ड भी लगा हुआ है। उक्त भूखण्ड के दक्षिण दिशा में आबादी भूमि की 10 फीट गली है एवंउसके पास ही वेरा होंगावा का जाव स्पष्ट दिख रहा है। तथा उक्त सावित्रीदेवी के नाम के पट्टे का विवाद श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद संख्या 123/97 के विचाराधीन मामले में दिनांक 07.11.2006 को निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत सेवाडी के सरपंच द्वारा दिनांक 10.10.1996 को सावित्री देवी को किस प्रकार 30 X 45 फीट नाप का पट्टा उत्तर में आसुलाल पुत्र दरगाजी लुहार व दक्षिण में होंगावा बेरा का जाव दर्शातें हुए जारी किया गया है जो स्पष्ट नहीं है। क्योंकि आसुलाल पुत्र दरगाजी लुहार के भूखण्ड के दक्षिण में 10 फूट गली को छोडते हुए बेरा होंगावा की भूमि ख.न.1380 ही है। जिससे जो पट्टा सावित्रीदेवी के नाम का 10.10.1996 को जारी किया हुआ है वो गलत एवं शून्य है।"

अतः मौका निरीक्षण एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूखण्ड मौके पर स्थिति नहीं है। इसलिए आगामी बैठक में उक्त निर्माण ईजाजत को खारिज की जाने की अनुशंषा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख करना भी समीचीन है कि जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 109 पर न तो मिसल संख्या है और न ही ग्राम पंचायत की बैठक में पारित किसी संकल्प या प्रस्ताव का ही अंकन है। यहाँ तक कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा को प्रेषित पत्रांक/ 110 दिनांक 31.12.2025 द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पंचायत में उक्त पट्टा विलेख से सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सेवाडी द्वारा पारित पट्टा संख्या 109 दिनांक 10.10.1996 को निरस्त किया जाता है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सेवाड़ी को निर्देशित किया जाता है कि निरस्त किये गये उपरोक्त भूमि विक्रय विलेख पर लाल स्याही से बड़े अक्षरों में क्रॉस तथा निरस्त का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **30.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner